बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
–::संकल्प::–

पटना–15, दिनांक.....

श्री राजीव रंजन सिंह, बि.प्र.से., कोटि क्रमांक–470/11, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–18 दिनांक–31.08.2017 द्वारा उनके पदस्थापन काल के दौरान प्रतिवेदित वित्तीय अनियमितता एवं कोतवाली थाना, भागलपुर में दर्ज प्राथमिकी थाना कांड सं0–500/17 दिनांक–08.08.2017 से संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर के पत्रांक सं0–6257 दिनांक–22.08.2017 द्वारा प्राप्त सूचना के साथ आरोप पत्र प्राप्त हुआ।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप गठित करते हुए उस पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया । श्री सिंह के विरूद्ध आरोप निम्नवत् हैः–

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी भागलपुर के पदस्थापन अवधि में अरबों रूपये जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर के सरकारी खाता की राशि को निजी स्वार्थवश सृजन महिला विकास समिति लि०, सबौर में फर्जी तरीके से स्थानांतरित किया गया।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी भागलपुर द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिये कोतवाली थाना, भागलपुर में दर्ज प्राथमिकी थाना कांड सं0–500/17 दिनांक–08.08.2017 दर्ज की गयी, जिसमें श्री सिंह को प्राथमिक अभियुक्त बनाया गया।

श्री सिंह का उपर्युक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रतिकूल है।

उक्त गठित आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक–438 दिनांक–09.01.2018 द्वारा श्री सिंह से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। आरोप पत्र बिना तामिला के वापस आ जाने की स्थिति में प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी एवं श्री सिंह से अपना बचाव अभिकथन समर्पित करने का अनुरोध किया गया। इसके बाद भी वांछित बचाव अभिकथन अप्राप्त रहने की स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–4172 दिनांक–28.03.2018 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें विभागीय जांच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–44 दिनांक–22.11.2018 द्वारा प्राप्त पूरक आरोप पत्र में आरोप प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सिंह के विरूद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा, घंटाघर शाखा, भागलपुर में जिला भू–अर्जन कार्यालय, भागलपुर के संधारित सरकारी खाता संख्या–10010100014403 दिनांक–01.07.2014 को बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश से खोला गया, जो सर्वथा अनुचित आपराधिक मंशा का द्योतक है।

जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त पूरक आरोप पत्र के आधार पर विभागीय स्तर पर पूरक आरोप पत्र गठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक–619 दिनांक–15.01.2019 द्वारा गठित पूरक आरोप पत्र मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना को प्रेषित किया गया।

श्री सिंह के विरूद्ध गठित पूरक आरोप निम्नवत् हैः–

श्री सिंह के विरूद्ध बैंक ऑफ बड़ौदा, घंटाघर शाखा, भागलपुर में जिला भू–अर्जन कार्यालय, भागलपुर के संधारित सरकारी खाता संख्या–10010100014403 दिनांक–01.07.2014 को बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश से खोला गया, जो सर्वथा अनुचित आपराधिक मंशा का द्योतक है।

कालांतर में विभागीय पत्रांक–11730 दिनांक–27.08.2019 द्वारा श्री सिंह के काराधीन होने की सूचना प्राप्त होने के उपरांत इस अनुशासनिक कार्यवाही को आरोपित पदाधिकारी के कारामुक्त होने तक स्थगित रखे जाने से संबंधित सूचना मुख्य जांच आयुक्त को प्रेषित

की गयी। तदुपरांत अनुशासनिक कार्यवाही आरंभ करने की सूचना संचालन पदाधिकारी को विभागीय पत्रांक–16295 दिनांक–23.12.2021 द्वारा दी गयी।

सृजन घोटाला से संबंधित इस विचाराधीन मामले में सी0बी0आई0 से श्री सिंह के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में विधि विभाग के आदेश संख्या–252 दिनांक–28.12.2017 तथा आदेश संख्या–14 दिनांक–18.01.2018 (शुद्धि पत्र) द्वारा अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है। श्री सिंह के विरूद्ध दर्ज सी0बी0आई0 वाद संख्या–आर0सी0–2172017A0013/सी0बी0आई0/ACUV/AC-II/New Delhi दिनांक–25.08.2017 ट्रायल के अंतर्गत है तथा अभियोजन साक्ष्य के स्तर पर है।

संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–52 दिनांक–19.11.2025 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या–17/18 का जांच प्रतिवेदन इस विभाग को प्राप्त हुआ है, जिसमें आरोप पत्र के भाग–3 में अंकित (5 कंडिकाओं में) आरोप/लांछनो के अभिकथन की कंडिका –01 के संबंध में अंकित किया गया है कि आरोप सं0–01 तथ्य है। इसमें किसी प्रकार का आरोप नहीं है, इसलिए इस पर किसी तरह के मंतव्य की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। जांच पदाधिकारी द्वारा कंडिका –02, 03, 04, 05 एवं पूरक आरोप पत्र में अंकित आरोप को प्रमाणित पाया गया है।

प्रमाणित आरोपों के आलोक में श्री सिंह से विभागीय पत्रांक–22326 दिनांक–02.12.2025 द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री सिंह से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। श्री सिंह द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन दिनांक–15.12.2025 को समर्पित किया गया है।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं श्री सिंह से प्राप्त लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि श्री सिंह द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी भागलपुर के सरकारी खाता की राशि को निजी स्वार्थवश सृजन महिला विकास समिति लि०, सबौर में फर्जी तरीके से स्थानांतरित करने संबंधी बरती गयी अनियमितता के लिए इनके विरूद्ध थाना कांड सं0–500/17 दिनांक 08.08.2017 दर्ज की गयी तथा सरकारी वारंट निर्गत होने की सूचना प्राप्त होने के बाद बिना छुट्टी स्वीकृत कराये ये मुख्यालय से अनुपस्थित हो गये।

श्री सिंह द्वारा दिनांक 14.08.2017 को अपना छुट्टी आवेदन जिला पदाधिकारी भागलपुर को भेजा गया। जिला पदाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–1405 दिनांक–28.08.2017 द्वारा छुट्टी अस्वीकृत किये जाने की सूचना ई–मेल पर भेज दी गयी। परन्तु श्री सिंह कर्तव्य पर उपस्थित नहीं हुए। इनके द्वारा अचानक बिना पूर्वानुमति के भागलपुर मुख्यालय छोड़ते हुए अपने मोबाईल नम्बर को स्वीच ऑफ कर दिया गया। इनके बचाव अभिकथन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि इनकी हृदय रोग संबंधी बीमारी किस तिथि को ज्यादा गंभीर हुई। ये किस तिथि को दिल्ली के लिए प्रस्थान किये तथा किस तिथि वे यह बिना सूचना के कार्यालय से अनुपस्थित थे। इनके द्वारा इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया कि इनके द्वारा सृजन महिला विकास समिति लि०, सबौर में सरकारी राशि को हस्तांतरित क्यों किया गया।

बैंक ऑफ बड़ौदा, घंटाघर शाखा, भागलपुर में खाता खोलने संबंधी आरोप के संबंध में संचालन पदाधिकारी द्वारा स्पष्टतः अंकित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 01.07.2014 को बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश से बैंक ऑफ बड़ौदा, घंटाघर शाखा, भागलपुर में जिला भू–अर्जन कार्यालय, भागलपुर का सरकारी खाता खोला गया है, जबकि जिला पदाधिकारी का आदेश दिनांक 14.07.2014 को संचिका पर प्राप्त हुआ है। जिला पदाधिकारी, भागलपुर से प्राप्त आदेश के द्वितीय भाग में अंकित था कि उक्त खाता खोलने के संबंध में विभाग से भी अनुमोदन प्राप्त करने के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस संबंध में इनके द्वारा अपने बचाव अभिकथन में भी कुछ अंकित नहीं किया गया है। इनके द्वारा प्रपत्र में तिथि की हेरा–फेरी के लिए नाजीर को जिम्मेवार ठहराया गया है।

श्री सिंह दिनांक 31.08.2017 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनके सेवानिवृत्ति के बाद दिनांक 09.01.2018 को आरोप–पत्र निर्गत किया गया है तथा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43बी के संगत प्रावधानों के तहत् अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी।

समीक्षोपरांत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के लिखित अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए बिहार बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत **शत–प्रतिशत (100%) पेंशन अवरूद्ध किये जाने के दंड** विनिश्चित किया गया है।

श्री सिंह के विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित **शत–प्रतिशत (100%) पेंशन अवरूद्ध किये जाने के दंड** पर विभागीय पत्रांक 1962 दिनांक 28.01.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग की परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक–4895 दिनांक–09.03.2026 द्वारा श्री राजीव रंजन सिंह, बि.प्र.से., कोटि क्रमांक–470/11, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शत–प्रतिशत (100%) पेंशन अवरूद्ध किये जाने संबंधी विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर आयोग द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है।

अतः श्री राजीव रंजन सिंह, बि.प्र.से., कोटि क्रमांक–470/11, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के प्रावधानों के तहत शत–प्रतिशत (100%) पेंशन अवरूद्ध किये जाने की शास्ति अधिरोपित की जाती है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–27/आरोप–01–30/2019 सा0प्र0 5554 **/पटना–15, दिनांक** 24.3.26

निबंधित/
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/मुख्य जांच आयुक्त, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/श्री राजीव रजन सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–470/11, तत्कालीन जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त वर्तमान पता–फ्लैट सं0–207, आशियाना बिहार अपार्टमेंट, सी0डी0ए0 भवन के बगल में, राजेन्द्र पथ, जिला–पटना, पिन–800001, मो0–7541054411/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई0टी0 मैनेजर (वेब साईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

23/3/26
सरकार के अपर सचिव।